

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

**मद क्रमांक 1**

राज्यपाल के सचिवालय के लिये प्रतिस्थापन मद में तीन वाहन क्रय हेतु ₹ 21.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

**मद क्रमांक 2**

राज्य निर्वाचन आयोग हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) क्रय हेतु ₹1060.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 3**

मंत्रालय स्थापना के लिये उप सचिव के 13 पद वेतन मैट्रिक्स लेवल-14 में सृजन हेतु ₹ 140.40 लाख का व्यय संभावित है। इसके लिए आकस्मिकता निधि 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 से 6**

राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग के लिये मजदूरी एवं कार्यालय व्यय हेतु ₹ 4.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु ₹ 450.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 4,50,00,000 के अनुपूरक की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के लिये 1 नवीन वाहन क्रय हेतु ₹ 15.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।